



**THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY**

No. 773

12 Aashwin, 1941(S)

Ranchi, Friday, 4th October, 2019

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

Notification
4th October, 2019

Notification No. 13/2019 – State Tax (Rate)

S.O. No. 72 Dated 4th October, 2019-- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Jharkhand, in the Commercial Taxes Department, No.12/2017- State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 42, dated the 29th June, 2017, namely:-

1. In the said notification, in the Table, against serial number 22, in the entries in column (3), after clause (a), the following clause shall be inserted, namely: -

(3)

(aa) to a local authority, an electrically operated vehicle meant to carry more than twelve passengers; or

Explanation: For the purposes of this entry, “Electrically operated vehicles” means vehicles falling under Chapter 87 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) which are run solely on electrical energy derived from an external source or from one or more electrical batteries fitted to such road vehicles.

2. This notification shall be deemed to be effective from 01st August, 2019.

[File.No Va Kar / GST / 03/ 2019]
By the order of the Governor of Jharkhand

(Prashant Kumar)
Secretary-cum-Commissioner

Note: -The principal notification was published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* notification No. 12/2017 - State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, *vide* S.O. No. 42, dated the 29th June, 2017 and was last amended by notification No. 4/2019 - State Tax (Rate), dated the 26th April 2019 *vide* S.O. No. 46, dated the 26th April, 2019.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना सं०. 13/2019- राज्य कर (दर)

एस. ओ. सं. 72 दिनांक 4 अक्टूबर, 2019 (अ.)- झारखण्ड माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, झारखण्ड सरकार, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 12/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे एस. ओ. सं. 42, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

1. उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 22 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, उपवाक्य (क) के पश्चात निम्नलिखित उपवाक्य को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

| (3) |
|--|
| (कक) किसी स्थानीय प्राधिकरण को कोई ऐसा विद्युत चालित वाहन, जो 12 से अधिक यात्रियों को ले जा सकता है ; स्पष्टीकरण: इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, "विद्युत चालित वाहन" का अर्थ ऐसे वाहन से है जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में अध्याय 87 के अधीन आते हैं, और जो पूरी तरह से विद्युत ऊर्जा से चलते हैं। यह विद्युत ऊर्जा या तो बाहरी स्रोत से आती है या सड़क वाहनों में फिट किए गए एक या एक से अधिक विद्युत बैटरी से आती है।"; |

2. यह अधिसूचना 01 अगस्त, 2019 से लागू मानी जाएगी।

[सं.सं .वा0कर/जी0एस0टी0/03/2019]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

(प्रशांत कुमार)

सचिव-सह-आयुक्त

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 12/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 को एस. ओ. सं. 42, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 4/2019- राज्य कर (दर), दिनांक 26 अप्रैल, 2019, एस. ओ. सं. 46, दिनांक 26 अप्रैल, 2019 के तहत, के द्वारा संशोधन किया गया है ।
